न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 36 / 2018

अपीलांट–
किसनाराम पुत्र मुकनाराम जाति
जाट निवासी कानासर गोलाई
तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. सताराम पुत्र भूराराम
2. खेताराम पुत्र दुर्गाराम
जाति जाट निवासी कानासर
गोलाई तहसील शिव जिला बाड़मेर
3. तहसीलदार शिव

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक : 01 दिनांक 08.06.2 जो 08.06.2017 अपीलांट व उत्तरदाता सं. 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री विष्णु भगवान चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री चेतनराम सारण, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1व2 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 3 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 24 / 12 / 2019

अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार शिव के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा कानासर गोलाई के खेत खसरा नम्बर 269, 270 रकबा क्रमशः 00–10 गै.मु. व 96–03 बीघा बारानी दोयम भूमि खातेदारान किसनाराम वल्द मुकनाराम 1 / 3, सताराम पुत्र भूराराम 1 / 3, खेताराम पुत्र दुर्गाराम 1 / 3 कौम जाट साकिन देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 08.06.2017 तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी कानासर द्वारा की गई तथा रिपोर्ट

जिला कलक्टर बाड़मेर

प्रस्तुत की गई कि पक्षकारान के उक्त इकरारनामे की रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी मे दर्ज है तथा इस इकरारनामे मे भूमि एवं लगान का विवरण सही किया गया है, इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत है एवं कोई विवाद नही हैं। इस पर तहसीलदार शिव द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक : 01 दिनांक 08.06.2017 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.08.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ ही मौका कब्जा की रिपोर्ट मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स ने संयुक्त खातेदारी की कृषि जोत का विभाजन सहमति से करवाना तय किया गया। अपीलांट ने हल्का पटवारी पर विश्वास कर कदीमी मौका कब्जा–काश्त अनुसार बंटवाड़ा कराने हेतु प्रस्ताव रखा जिस पर हल्का पटवारी द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव अनुसार विभाजन करने हेतु सहमति इकरारनामा व नक्शा के साथ तहसीलदार शिव के समक्ष पेश हुए। अपीलांट ने उक्त विभाजन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व प्रकट किया कि पहले भूमि की पैमाईश की जावें तथा मौके पर चिन्हित की जाये ताकि प्रत्येक पक्ष की स्थिति स्पष्ट हो जाये, किन्तु उक्त बंटवाड़ा नक्शा की हल्का पटवारी एवं तहसीलदार शिव द्वारा बिना मौके पर कब्जे की जांच किये ही स्वीकृति जारी कर दी तथा नामान्तरकरण भी पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश अपीलांट व उत्तरदातागण के मध्य पूर्व में हुए बाहमी बंटवाड़े के अनुसार नहीं किया गया हैं न ही कब्जा अनुसार है, तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा–काश्त में भारी भिन्नता है, जिसके कारण अपीलांट की ढाणी, बाड़े आदि उत्तरदाता के हिस्से में चले गये हैं। अपीलाधीन विभाजन पक्षकारान के भौतिक कब्जे के अनुसार नहीं किया गया हैं तथा यह सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित हुई है, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना कर, बंटवाड़ा एवं नामान्तरकरण पारित करने एवं

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर बाड़मेर

नक्शा मे तरमीम करने मे राजस्व नियमावली की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा का इकरारनामा पर पारित आदेश एवं बंटवाड़ा का नामान्तरकरण व नक्शा मे की गई तरमीम काबिल अपास्त है।

5. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलांट को आलौच्य बंटवाड़ा के स्वीकृत होने की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी एवं अपीलांट अपने पूर्ववर्ती कब्जे अनुसार ही आज दिन तक विवादित आराजी पर काबिज काश्तकार हैं। अर्सा 15 दिन पूर्व जब उत्तरदातागण ने मिलकर अपीलांट के कब्जे–काश्त में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तब दोनो पक्षकारों में विवाद हुआ, तब उत्तरदातागण नें बताया कि बंटवाड़ा अनुसार कब्जा–काश्त करेंगे। इस पर अपीलांट ने विभाजन कार्यवाही की नकलें प्राप्त की तब एकपक्षीय एवं मौके कब्जे से सर्वथा प्रतिकूल विभाजन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। यद्यपि सम्यक तत्परता व सद्भावना से पेश की हैं फिर भी कानूनी प्रावधानों की पूर्ति हेत धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विभाजन आदेश दिनांक 08.06.2017 निरस्त कर विवादित आराजी का मौके पर पक्षकारान की सहमति एवं कब्जे–काश्त अनुसार बंटवाड़ा करने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने जवाब मे प्रकट किया कि अपीलांट पढा–लिखा एवं सरकारी नौकरी में था उसके प्रस्ताव पर ही अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स ने अपनी संयुक्त खातेदारी की कृषि जोत का विभाजन आपसी सहमति से पारित करवाया गया हैं तथा तीनों खातेदारों का विभाजन अनुसार कब्जा–काश्त एवं पृथक–पृथक आवासीय ढाणियां बनी हुई हैं। तहसीलदार शिव द्वारा विभाजन पर स्वीकृति जारी कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया तथा उसी अनुसार पक्षकारान मौके पर आज भी काबिज हैं। अपीलांट झगड़ालु व्यक्ति है जिसने उक्त विभाजन के गलत तथ्यों को आधार पर चुनौती देने हेतु एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी शिव के न्यायालय में दिनांक 09.07.2018 को अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया एवं धारा 212 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया। इस स्थगन आदेश से रेस्पोडेंट्स को भारी क्षति हुई तथा रेस्पोडेंट्स के शीघ्र सुनवाई के निवेदन पर दिनांक 25.07.2018 को उक्त स्थगन आदेश निरस्त किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाडमेर

इस पर अपीलांट ने गलत तथ्यों के आधार पर यह अपील गलत एवं भ्रामक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील तथ्यहीन एवं मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं जो खारिज फरमाई जावें।

7. हमने दोनो पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र दिनांक 08.06.2017 तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तावित विभाजन अनुसार भूमि आपसी रजामंदी अनुसार प्रदान की गई हैं। इस विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत नक्शा केवल पक्षकारान के हिस्से की स्थिति दर्शाने हेतु नजरीया नक्शा है, जिसका राजस्व रेकर्ड मे अंकन हेतु मौके पर पैमाईश की जाकर रेकर्ड मे दर्ज रकबा अनुसार तरमीम का अंकन किया जाना हैं। अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन हैं कि नक्शे में अंकित तरमीम के द्वारा अपीलांट के कब्जे एवं ढाणियों वाली भूमि रेस्पोडेंट्स के हिस्से में चली गई हैं जबकि विभाजन नक्शा में प्रत्येक खातेदार को उसके कब्जे अनुसार भूमि का हिस्सा प्रदान करते हुए सहमति हेतु हस्ताक्षर अंकित कराये गये हैं जिसमे सभी पक्षकारान ने हस्ताक्षर अंकित किये हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत केवल वे ही अंतिम आदेश अपील योग्य होंगे जो तृतीय अनुसूची में उल्लेखित किसी भी प्रार्थना पत्र में पारित किये गये हैं। इसके अलावा तृतीय अनुसूचि में उल्लेखित के सिवाय अन्य किसी आदेश की अपील धारा 222 में यथाविहित प्रावधान के अन्तर्गत अनुज्ञेय ही नहीं हैं। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान ने अधिनस्थ तहसीलदार शिव के समक्ष धारा 53(2)(i) के तहत सहमति इकरारनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया हैं तथा तहसीलदार शिव द्वारा इस इकरारनामा को अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया हैं। अपीलांट द्वारा न्याय आपके द्वारा अभियान 2017 में उक्त विभाजन कराने के बाद अपने–अपने हिस्से की भूमि के खातेदार दर्ज हो जाने के एक वर्ष बाद राजस्व रेकर्ड में फेरबदल कराने हेतु यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं, जबकि अधिनियम की तृतीय अनुसूचि में तहसीलदार द्वारा धारा 53(2)(i) के प्रार्थना पत्र में पारित आदेश के बारे में कोई प्रावधान नहीं दिया गया हैं, इस आधार पर सहमति विभाजन इकरारनामा के तस्दीक आदेश के विरूद्ध धारा 225 के अधीन अपील कतई अनुज्ञेय नहीं हैं साथ ही अपीलांट्स द्वारा एक

बार सहमति प्रदान करने के बाद इसे जरिये अपील चुनौती दिया जाना विधिसम्मत नहीं हैं। इसके उपरांत भी यदि पक्षकारान इस सहमति विभाजन इकरारनामा को छल–कपट के द्वारा अथवा धोखे में रखकर निष्पादित करवाया जाना मानते हैं तो इसके लिये सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। द्वितीय अपीलांट्स जब स्वंय उक्त अपीलाधीन विभाजन तस्दीक कराने हेतु तहसीलदार शिव के समक्ष उपस्थित हुए हैं तो इस आदेश की जानकारी उन्हे तत्समय नहीं होने का कथन मानने योग्य नही हैं। इसके अलावा भी अपीलांट द्वारा इसी विभाजन पत्र को चुनौती दिये जाने हेतु एक राजस्व वाद सहायक कलक्टर शिव के न्यायालय में भी प्रस्तुत किया हैं जो विचाराधीन हैं। इस प्रकार अपीलांट यह कथन कि अपीलाधीन विभाजन आदेश की जानकारी उसे अर्सा 15 दिन पूर्व ही हुई हैं, सरासर गलत कथन हैं। परिणामस्वरूप अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 222 के तहत अनुज्ञेय नहीं होने के साथ ही सारहीन तथ्यों पर आधारित होने एवं मयाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील विधि के प्रावधानों के तहत अनुज्ञेय नही होने एवं सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

9. आदेश आज दिनांक 24.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर